

श्री सदाशिव बगईतकर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि खेतीहर मजदूरों के सवाल को लेकर उस का जो सामाजिक ग्रंथ है उस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह नहीं सोचेगी कि खेतीहर मजदूरों के लिए क्योंकि वह संगठित नहीं हैं सामाजिक दृष्टि से और वह ऐसे तबके से आते हैं कि जिन की कोई हैसियत नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखकर कानून में ऐसा परिवर्तन करने की बात सरकार सोच रही है कि जिस मशीनरी का जिक्र किया है आप ने जिले और ब्लाक लेवल पर उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाए कि वे खुद-ब-खुद सूझो मोटो उनकी शिकायतों पर ध्यान देने की और कार्यवाही करने की बात में पहल करें ?

SHRI RAVINDRA VARMA: I think, I have already answered this question.

SHRI SADASIV BAGAITKAR: I am sorry, the hon. Minister has not understood me. I will put it in English. Sir, my simple question was whether, in view of the fact that the agricultural labour comes from the lowest strata of the society and in view of the present condition in the rural social set up, Government would consider the proposal for amendment of the Act whereby the local authorities, which he has already mentioned, would, *suo motu*, take cognisance of the complaints of these agricultural labour.

AN HON. MEMBER: It was only a translation of Hindi.

SHRI RAVINDRA VARMA: This is just to make the point that I do not understand Hindi.

Sir, the inspecting authority has the responsibility to inspect and in some States, a certain number of inspections have been made obligatory. The purpose of the inspection is to, *suo motu*, take action by looking at the

records, first of all, checking whether the records are kept, secondly, by looking at the records, and, thirdly by ensuring payment to take *suo motu* action on the part of the Government. That is why I said that this question has been answered earlier.

श्री कल्पनाथ राय : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि गांव में मिनिमम वैजिज कानून लागू नहीं हो पाता है ? क्या इसका कारण गांव की भयंकर गरीबी है ? दूसरी बात, आज इस मुल्क में बन्धुवा मजदूर जिनकी संख्या बीस से पच्चीस मिलियन है, तो जब तक बन्धुवा मजदूरों को मुक्ति नहीं दिलाई जाती है तब तक क्या मिनिमम वैजिज का सिद्धांत लागू हो पायेगा ? क्या इन सारे प्रश्नों की जांच करने की सरकार कृपा करेगी ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Poverty is not the only reason not even the main reason why minimum wages are not paid. There is an effort in every field to escape the law. In a far-off area where it is difficult to detect, there are some instances where efforts are made to escape the law and it becomes easy for such persons to escape the law when, specially, when the administrative authority is not present or vigilant or an organisation of workers is not present with the quantum of force that is necessary to ensure implementation.

पटना, बिहार में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय

* 344. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में व्याप्त कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार के कारण वहां के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में भारी असंतोष है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 30 जनवरी, 1979 को केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारियों ने पाटलीपुत्र स्थित कार्यालय तथा कार्यभारी चिकित्साधिकारी के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया था ;

(ग) क्या कर्मचारियों की ओर से कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को कोई ज्ञापन दिया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका व्योरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ?

†[C.G.H.S. Dispensary for Central Government employees at Patna, Bihar

*344. SHRI YOGENDRA SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is grave dissatisfaction among the employees working in the Central Government offices at Patna due to mismanagement and corruption prevailing in the C.G.H.S. dispensaries there;

(b) whether it is also a fact that a large number of Central Government employees had staged a demonstration on the 30th January 1979, at Patliputra Office and at the residence of the concerned medical officer in-charge;

(c) whether any memorandum was submitted to the Medical Officer in-charge on behalf of the employees; and

(d) if so, what are the details thereof and what action Government have taken or propose to take in this regard?]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री रवि राय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जो हाँ ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) इस ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना के काम-काज के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गयी थी जिनकी जांच की गई और जहाँ आवश्यक हुआ उपचारी उपाय किए गए ।

†[THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAY): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Certain grievances against working of the CGHS, Patna were voiced therein which were looked into and remedial measures taken wherever necessary.]

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय ने जो जवाब दिए हैं

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवत): लाजवाब है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : लाजवाब नहीं हैं, परस्पर विरोधी है क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्रश्न का कि क्या पटना स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने वहाँ पर सी० जी० एच० एस० में जो व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो असंतोष है, इसके उत्तर में उन्होंने कहा है 'नहीं'। लेकिन (ख) जो हमारा प्रश्न है जिसमें हमने यह कहा है कि क्या वहाँ प्रभारी मेडिकल अफसर के खिलाफ उन कर्मचारियों ने कोई प्रदर्शन किया, तो उन्होंने कहा 'हाँ'। फिर उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनको उन्होंने अपनी शिकायतों का स्मारक पत्र भी दिया। फिर उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने उपचार भी किए हैं। तो, यदि कोई असंतोष नहीं था तो फिर प्रदर्शन की बात क्यों हुई, स्मारक पत्र देने की बात क्यों हुई, शिकायतों की बात क्यों हुई? तो ऐसे

मालूम होता है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस परस्पर विरोधी जवाब के जरिए शायद अपनी सरकार के परस्पर आन्तरिक विरोधी चरित्र का परिचय दिया है। मेरा प्रश्न यह है जो स्मारक पत्र उन्होंने दिया उसमें उन्होंने किन किन बातों का उल्लेख किया है और क्या क्या शिकायतों की हैं ?

श्री रबी राय : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूँ कि 30 जनवरी को जो एक डिमोंस्ट्रेशन डा० मिसैज आर० के० शर्मा चीफ मेडिकल आफिसर पटना के समक्ष दिया गया था उसमें एक स्मारक पत्र दिया गया था। मैं शर्मा जी को यह कहना चाहता हूँ कि स्मारक पत्र में कुछ चीजों के बारे में मांग पत्र दिया गया था और उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान दिया और मैं कह सकता हूँ कि इसमें 12-13 प्वाइंट थे जिसमें 5-6 मुख्य बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ जायज चीजें थी जैसे कि पोस्टिंग आफ स्पेशलिस्ट इन ईच सी० जी० एच एस० डिस्पेंसरी। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक अस्पताल खोलने का फैसला कर लिया है और जहाँ तक विशेषज्ञों को नियुक्त करने का प्रश्न है शर्मा जी बिहार से आते हैं और जानते हैं कि सी० जी० एच० एस० के विशेषज्ञ नहीं होते हैं बल्कि पटना मेडिकल कॉलेज ही विशेषज्ञ भेजता है। लेकिन फिर भी दिक्कत होती है। इस लिए इसको ध्यान में रख कर हम लोग विचार कर रहे हैं। कि केन्द्रीय सरकार हेल्थ स्कीम के तहत एक पोल-क्लिनिक खोला जाए जिसमें बैड नहीं रखेंगे लेकिन स्पेशलिस्ट और दूसरे लोग रहेंगे।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मंत्री महोदय ने यह बतलाने की कृपा की कि कुछ कदम वे उठाने जा रहे हैं लेकिन हमको यह नहीं बतलाया कि उक्त स्मारक पत्र में सी० जी० एच० एस० के डाक्टरों और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ वहाँ के केन्द्रीय सरकार के

वर्माचारियों की शिकायतें क्या हैं जिनको कि उन्होंने ने लिखित रूप में दिया ?

श्री रबी राय : सभापति महोदय, शिकायतों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मिसिज शर्मा के बारे में जो शिकायतें थी उसके लिए हमारे डायरेक्टर वहाँ से गए थे। 26 फरवरी को . . . (Interruptions) शिकयत यह थी प्रदर्शकारी लेडी डाक्टर मिसिज शर्मा के घर के समक्ष जिस दिन प्रदर्शन करने के लिए आये वे वहाँ पर नहीं थी। उन का कहना है कि हमको उनके आने की सूचना बाद में मिली, जिस दिन प्रदर्शन हुआ उसके बाद मिली इसलिए मैं वहाँ नहीं रह पाई। जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है इस के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वे लेडी डाक्टर हैं इस लिए प्रदर्शनकारी अस्पताल जा सकते थे उन को घर के सामने नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पर लान में रेली भी की। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो उनकी जाइज मांगें हैं उनके बारे में हम लोगों ने कुछ कदम उठाये हैं।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Will the hon. Minister tell the House whether similar complaints were received by the Ministry regarding the Allahabad CGHS, whether the management there is victimised by transferring one of the trade union employees, who is the secretary of the trade union to Delhi, although he is a low paid employee? Sir, the Minister himself had assured that his transfer will be cancelled. Will the Minister stick to his assurance and see that it is implemented?

MR. CHAIRMAN: Really speaking, this supplementary will not arise. If the hon. Minister is prepared to reply, I have no objection.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Everything is within his knowledge.

MR. CHAIRMAN: The question is about Patna and Bihar.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, the CGHS dispensaries are not purchasing the patent and propriety

medicines. Most of the medicines purchased by them are pharmacopeal drugs and inferior drugs. It does not serve the purpose. Therefore, there is a great dissatisfaction among the Government employees who are mainly dependent upon the CGHS dispensaries. In view of this, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering purchasing patent drugs instead of the pharmacopeal drugs to cater to the needs of the CKHS beneficiaries.

श्री रबी राय : समापति महोदय, हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पेंसरीज में फार्माकोलॉजिक को तारी दवाइयों की व्यवस्था होती है। यदि सब स्टैंडर्ड की कोई स्पेसिफिक शिकायत आप करेंगे तो मैं उसको देखूंगा। फार्माकोलॉजिक के तहत सब दवाइयां रहती हैं।

SHRI YOGENDRA MAKWANA:
All pharmacopeal drugs are sub-standard.

MR. CHAIRMAN: He has said that if he gets information, he will examine.

*345. [The questioners, Dr. Bhai Mahavir, Shri Kalraj Mishra and Shri Jagdish Prasad Mathur) were absent. For answer vide Col. infra].

*346. [Transferred to the 19th March, 1979].

Deterioration in the Delhi Transport Corporation Services

*347. **SHRI KHURSHED ALAM KHAN:**†
SHRI SHIVDAYAL SINGH CHAURASIA:
SHRI PIARE LALL KUREEL
URF. PIARE LALL TALIB:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Transport Corporation services have lately further deteriorated;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Khurshed Alam Khan.

(b) whether it is also a fact that the Undertaking is facing acute financial crisis; and

(c) what steps Government propose to take to adequately meet the transport needs of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) It would not be correct to say that the services provided by D.T.C. have lately further deteriorated. There has been a distinct improvement in its operation. In January, 1978 D.T.C. had only 2131 buses on the road operating 27041 trips daily covering 4.86 lakh kilometres and carrying 22.50 lakh passengers. As against this in January, 1979, D.T.C. had 2366 buses on road operating daily 29230 trips covering 5.21 lakh kilometres and carrying nearly 25 lakh passengers. D.T.C. fleet utilization has also increased to 80 per cent in January, 1979 as compared to 70 per cent in April, 1977. D.T.C. has been providing as many as 1037 additional trips to the far flung colonies and 665 additional trips to the rural areas. This is an improvement over the position in April, 1977 when the number of trips serving resettlement colonies was 3335 and those serving rural areas was 2021. Peak hour services also have been introduced to meet heavy traffic demand during that period and to reduce waiting time. Surveys are undertaken from time to time to assess traffic demand on each and every route and frequency increased, if so, warranted. Ratio of trips operated to trips scheduled, which is a measure of dependability of service, increased from 83.78 in April, 1977 to 90.81 in February, 1979.

(b) Yes, Sir. The losses of the Corporation have been mounting over the years as a result of uneconomical fare structure.